कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत श्री लीलाराम यादव, व्याख्याता गणित का स्थानान्तरण राउमावि भूपसेड़ा (अलवर) से राउमावि कोहराना बहरोड़, अलवर एवं श्रीमती मनोज यादव, व्याख्याता का स्थानान्तरण राउमावि पावटा जयपुर से राउमावि भूपसेड़ा अलवर किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व श्री लीलाराम यादव द्वारा राजस्थान सेवा अपील अधिकरण, जयपुर की अपील संख्या 3037/2019 के द्वारा याचिका पर इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी कैंसर पीड़ित होने के कारण आदेश क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/को.के./स्थानान्तरण/3037/2019/12 दिनांक– 06.11.19 के द्वारा श्री लीलाराम यादव, का राउमावि भूपसेड़ा अलवर व श्रीमती मनोज यादव का समायोजन राउमावि जखराना अलवर में व्याख्याता गणित के रिक्त पद पर किया गया।

श्रीमती मनोज यादव, व्याख्याता गणित राउमावि जखराना, अलवर ने उक्त आदेश दिनांकः 06.11.2019 के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्याः 4490/2019 मनोज यादव बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एंव अन्य दायर की जिस पर न्यायालय ने आदेश प्रसारित करते हुए अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों एवं अपीलार्थी की सहमति को दृषिगत रखते हुए न्याय हित में समीचीन होगा, कि अपीलार्थी को अपनी वैयक्तिक एवं विशिष्ट परेशानियों के बारे में एक अभ्यावेदन रिक्त पद दर्शाते हुए विभाग के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया एवं विभाग को एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित की सूचना अपीलार्थी को देने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती मनोज यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर छोटी बच्ची एवं सास हृदय रोगी होने के आधार पर पदस्थापन 1. रा. सरदार उमावि कोटपूतली जिला–जयपुर 2. राउमावि ततारपुर (अलवर) किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी नवीन स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 15.11.19 को कार्यग्रहण कर चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/भौगकृ/अभ्यावेदन/मनोज यादव/को.के/18–19/05 दिनांकः 17/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त ~~निदेशक~~ (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court